भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3191
दिनांक 12 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय

3191. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देशभर में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे प्रस्ताव 767.25 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : भारत सरकार ने केवल महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले यौन अपराधों की शीघ्र सुनवाई और निपटान के लिए प्रावधानों को कड़ा बनाने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 में संशोधन करके "आपराधिक (कानून) संशोधन अधिनियम, 2018" अधिनियमित किया है । न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा बलात्कार के मामलों की शीघ्र सुनवाई और निपटान के लिए त्वरित विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए अन्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीमो की तर्ज पर एक स्कीम तैयार की है । निर्भया कोष के अंतर्गत स्थापित अधिकारियों की अधिकार-प्राप्त समिति ने पूरे देश में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई के लिए लंबित मामलों के निपटान के लिए कुल 767.25 करोड़ रुपये की लागत से 1023 त्वरित विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने की परियोजना का मूल्यांकन किया है ।

*****